खण् ड पांच : भाग चार

मध् य ूदेश शासकीय वनों में लगे मामों में इमारती लकड़ी काटकर िगराने तथा हटाने का िविनयमन िनयम 2007

अिधसूचना ब. एफ, 2-39-04-सात-शा..-6 नवम् बर, 2007 - मध् यूदेश भू-राजः व संिहता, 1959 (बमांक 20 सन् 1959) की धारा 241 की उपधारा (1) के साथ पिठत धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण् ड (बासठ) द्वारा ूदत् त शिक्तयों को ूयोग में लाते हुए राज् य सरकार, एतद्द्वारा, िनम् निलिखत िनयम बनाती है, जो उक् त संिहता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेिक्षत िकए गए अनुसार पूवर् में ूकािशत िकये जा चुके हैं, अथार्त् -

िनयम

1. संिक्षप् त नाम, तथा ूारम् भ - (1) इन िनयमों का संिक्षप् त नाम मध् यूदेश शासकीय वनों से लगे हुए मामों में इमारती लकड़ी को काटकर िगराने तथा हटाने का िविनयमन िनयम, 2007 है।

(2) ये "मध् यूदेश राजपऽ" मे इनके ूकाशन की तारीख से ूवृत् त होंगे।

2. मध् यूदेश भू-राजः व संिहता, 1959 (बमांक 20 सन् 1959) की धारा 241 की उपधारा (1) के अधीन राजपऽ में ूकािशत आदेश का िहन् दी में अनुवाद िकया जाएगा और ऐसे अनुवाद की एक ूितिलिप ऐसे मामों में, जो अिधसूचना क्षेऽ में समािवं ट हों, सावर्जिनक ः थानों पर िचपकाई जाएगी। इसकी एक ूितिलिप माम पंचायत तथा माम सभी के सूचना फलक पर िचपकाई जाएगी और इसकी घोषणा सम् बिन्धत मामों तथा साप् तािहक हाट यिद कोई हो, में भी डोंडी िपटवा कर की जाएगी।

3. ूत् येक माम पंचायत में, एक माम पंचायत ः तरीय सिमित होगी, ऐसी माम पंचायत के सामान् य पशासन सिमित के समः त सदः य और ः थानीय बीट गाडर्, पटवारी ऐसे सिमित के सदः य होंगे। सामान् य ूशासन सिमित का अध् यक्ष ऐसी सिमित का सभापित तथा ऐसी सिमित का सिचव ऐसी सिमित का सदः य सिचव होगा।

4. जब िकसी माम में धारा 241 की उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश उद्घोिषत कर िदया जाये तब िवबय या व् यापार अथवा व् यवसाय के ूयोजनों हेतु अपने खाते में के िकसी रां शीयकृत इमारती लकड़ी के वृक्ष को काटकर िगराने का इच् छुक कोई व् यिक्त, इन िनयमों से संलग् न ूारूप "क" में िलिखत में तीन ूितयों में आवेदन तहसीलदार को ूः तुत करेगा :

परन् तु वृक्षों को काटे जाने या काटकर िगराये जाने के िलए कोई अनुज्ञा अपिक्षत नहीं होगी, यिद वृक्षों को काटा जाना या काटकर िगराया जाना मध् यूदेश लोक वािनकी अिधनियम, 2001 (बमांक 10 सन् 2001) के अनुसार है :

परन् तु यह और िक मध् यूदेश वन उपज (व् यापार िविनयमन) अिधनियम, 1969 तथा भारतीय वन अिधनियम, 1927 के अधीन िवरिचत मध् यूदेश अिभवहन (वनोपज) िनयम, 2000 के उपबन् धों के अध् यधीन रहते हुए, िकसी भूिमः वामी के खाते में की रां शीयकृत इमारती लकड़ी के वृक्षों को काटकर िगराये जाने और अिभवहन के िलए, यिद ऐसा काटकर िगराया जाना संिहता के उपबन् धों के उल् लंघन में नहीं है तो अनुज्ञा अपेिक्षत नहीं होगी, यिद उसने ः वयं ने इन वृक्षों का रोपण, िजसमें वािणिज्यक रोपण भी सिम्मिलत है, िकया हो :

परन् तु यह और भी िक भूिमः वामी, िकसी रोपण के सम् बन् ध में, तहसीलदार तथा वन रेंज अिधकारी को ूारूप "ख" में अिमम सूचना देगा और ऐसा रोपण को, खसरा को सिम्मिलत करते हुए, सुसंगत राजः व अिभलेखों में, सम् यक् रूप से अिभिलिखत िकया जाएगा।

ः पं टीकरण - (1) इस िनयम के उपबन् धों के ूयोजन के िलए "वािणिज्यक रोपण" में इस िनयम में यथा उपबिन्धत राजः व अिभलेखों में इनके अिभिलिखत होने के अध् यधीन रहते हुए वािणिज्यक फसल के रूप में वृक्षों का रोपण, उनका उगाना तथा उनकी कटाई सिम्मिलत होगी।
(2) "रां शीयकृत इमारती लकड़ी के वृक्ष से" अिभूेत है मध् यूदेश वन उपज (व् यापार िविनयमन) अिधनियम, 1969 (बमांक 9 सन् 1969) के अधीन िविनिदर्ं ट ूजाितयाँ।

5. आवेदन ूाप् त होने पर, तहसीलदार तुरन् त ही दूसरी ूित उप संभागीय अिधकारी, वन को और तीसरी ूित माम पंचायत ः तरीय सिमित को िवचाराथर् भेजेगा माम पंचायत ः तरीय सिमित तथा उप संभागीय अिधकारी, वन से अनुशंसा/ूितवेदन ूाप् त होने के पँ चात् यह सुिनिश्चत करेगा िक इमारती लकड़ी के वृक्षों में से िजन् हें काटने हेतु आवेदन िकया गया है, कौन-सी इमारती लकड़ी के वृक्ष जनिहत में आरिक्षत रखा जाना अपेिक्षत है या कौर-से िमट्टी के कटाव को रोकने हेतु अपेिक्षत हैं। वह खाते में उसके अितरक् त, िजन् हें वह अनुरिक्षत रखे जाने का आदेश दे, इमारती लकड़ी के वृक्ष काटे जाने की अनुज्ञा दे सकेगा :

परन् तु ऐसे भूिमः वामी के मामले में जो ऐसी जनजाित का हो, जो मध् यूदेश भू-राजः व संिहता, 1959 की धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आिद जनजाित घोिषत की गई है, मध् यूदेश आिदम जनजाित (वृक्षों में िहत) संरक्षण अिधनियम, 1999 के उपबन् ध लागू होंगे।

6. िनयम 5 के अधीन भूिमः वामी को िलिखत में दी गई अनुज्ञा, एक राजः व वषर् के िलए मान् य होगी।

7. अनुरिक्षत रखे जाने वाले इमारती लकड़ी के वृक्षों को िनम् निलिखत रीित से िचिन्हत िकया जाएगा :

(एक) ऐसे वृक्ष माम के पटवारी अथवा कलेक् टर द्वारा ूािधकृत िकसी व् यिक्त द्वारा अनुरिक्षत रखे जाने के िलए िचिन्हत िकए जाऐंगे।

(दो) ऐसे वृक्षों पर सीने की ऊँचाई पर अथार्त् भूिम के तल से 1.3 मीटर पर कोलतार की पट्टी होगी और वे बमांिकत िकए जाऐंगे।

8. माम के पटवारी का यह देखने का कत् तर्व् य हागा िक ऐसे वृक्ष िजन् हें अनुरिक्षत िकए जाने का आदेश हुआ है, काट कर िगराये नहीं गये हैं।

9. (1) वृक्षों को काट कर ूाप् त की गई वन उपज के पिरवहन के िलए मध् यूदेश अिभवहन (वनोपज) िनयम, 2000 लागू होंगे।

(2) अिभवहन में वन उपज का ूभारी कोई व् यिक्त, िकसी भी वन अिधकारी, राजः व अिधकारी या पुिलस अिधकारी द्वारा जब कभी उससे ऐसे करने को कहा जाये उसके ूभार में की वन उपज से सम् बिन्धत पास को िनरीक्षण हेतु ूः तुत करेगा।

10. (1) जहाँ िकसी राजः व अिधकारी के पास ऐसा िवँ वास करने का कारण हो िक इन िनयमों के उपबन् धों के उल् लंघन में िकसी वृक्ष को काटा गया है तो वह राजः व अिधकारी के आदेश के अधीन या उसके द्वारा ऐसे वृक्ष की लकड़ी या उसके काप (कापर्स) को अिभमिहत कर सकेगा।

(2) जहाँ राजः व अिधकारी उप संभागीय अिधकारी से िभन् न कोई अिधकारी हो, वहाँ उसके द्वारा ऐसे अिभमहण की सूचना, पन् िह िदन के भीतर, उपखण् ड अिधकारी को, ऐसी कारर्वाई के िलए, जैसी िक वह मध् यूदेश भू-राजः व संिहता, 1959 (बमांक 20 सन् 1959) की धारा 253 के अधीन उिचत समझे, करेगा।

11. मध् यूदेश शासकीय वनों से लगे हुए मामों में इमारती लकड़ी को काटकर िगराने तथा हटाने का िविनयमन िनयम, 2002, एतद्द्वारा, िनरिसत िकए जाते हैं :

परन् तु इस ूकार िनरिसत िनयमों के उपबन् धों के अधीन की गई काई कारर्वाई या पािरत िकया गया कोई आदेश इन िनयमों के उपबन् धों के अधीन की गई कारर्वाई या पािरत िकया गया आदेश समझा जाएगा।

ारूप-"क"

(िनयम 4 देिखए)

(1) आवेदक का नाम, िपता का नाम तथा पता संिहता ....

(2) उस भूिमः वामी का, िजसके खाते में तथा पटवारी हल् का बमांक सिहत उस माम का नाम िजसमें वृक्ष काटकर िगराया जाना है। ....

(3) सवेर्क्षण बमांक/भू-खण् ड बमांक क्षेऽफल सिहत, िजसमें वृक्ष काटकर िगराया जाना है। ....

(4) पूवोर्क् त सवेर्क्षण बमांक/भू-खण् ड बमांक में खड़े वृक्षों की

ू जाितवार तथा घेरावार कुल संख् या ....

(5) घेरावार काटकर िगराये जाने वाले वृक्षों की संख् या तथा काटकर िगराये जाने वाले वृक्षों का अनुबमांक। ....

(6) बेता का नाम, पूणर् िविशिष्टयां तथा पता ....

(7) िवबय की शतेर्ं तथा ूितफल ....

(8) गंतव् य ः थान जहाँ तक काटी गई साममी का पिरवहन या तो ः वयं .... या बेता द्वारा िकया जाना है।

(9) पिरवहन का मागर् ....ः

थान ....

तारीख.......................

आवेदक के हः ताक्षर

ारूप-"ख"

(िनयम 4 देिखए)

खसरा को सिम्मिलत करते हुए, राजः व अिभलेखों में इमारती लकड़ी के वृक्षारोपण की ूिविष्टयों को अिभिलिखत करने हेतु सूचना।

ित,
तहसीलदार,
तहसील ....
िजला .... मध् यूदेश .... (1) आवेदक का नाम, िपता का नाम तथा पता
....
(2) सवेर् बमांक तथा क्षेऽफल, पटवारी हल् का बमांक एवं माम ....
िजसमें वृक्षारोपण ूस् तािवत है।
(3) भूिम के ः वािमत् व के सम् बन् ध में िविश िष्टयाँ ....
(4) ू त् येक खसरा बमांक में िवद्यमान ूः तािवत वृक्षों की संख् या ....

अनु. बमांक	खसरा बमांक	िवद्यमान वृक्षों की संख् यातथा ूजाित	ः तािवत वृक्षारोपण हेतु पौधों की संख् याऔर ूजाित का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)

ः थान ....
तारीख ....

आवेदक के हः ताक्षर

[म.ू. राजपऽ भाग 4(ग) िदनांक 7-12-2007 पृं ठ 41-416 पर ूकािशत।]
भाग पांच : खण् ड पांच

खातों की लकड़ी का वगीर्करण एवं बय एवं भुगतान की ूिबया

मध् यूदेश वन उपज (व् यापार) अिधनियम, 1969 के ूवृत् त होने से उन क्षेऽोंं में जहाँ इमारती लकड़ी िविनदर्ं ट वनोपज घोिषत हुई है, उस क्षेऽ के भूिम ः वामी की सागौन, साल, बीजा, शीशम की इमारती लकड़ी के बय हेतु शासन द्वारा समय-समय पर दर िनधार्िरत की जाती है। ये दर अलग-अलग क्षेऽोंं में अलग-अलग हो सकती है। इसके संबंध में मध् यूदेश राज-पऽ भाग 1 िदनांक 26-7-76 को ूकािशत िनयम िनम् नानुसार हैं -

(1) सारणी में जो दर दशार्ये जाते हैं वे दर शासन द्वारा ः थािपत िडपो से 25 िकलोमीटर के अन् दर िःथत भूिम खातों के िलए हैं। ये दर खाते पर खरीद के िलए हैं।

गोलाई का नाप सागौन के िलए छाल सिहत तथा साज, बीजा, शीशम का छाल रिहत िलया जावेगा। लट्ठों की गोलाई का माप मध् य में तथा बिल्लयों का मोटे िसरे से 1.20 मीटर पर िलया जायेगा।

(2) लट्ठों एवं बिल्लयों का ौेणीकरण अनुसार िनम् न िकया जावेगा -
लट्ठे
सागौन : प् लाय वुड, इमारती, अधर्-इमारती,
चतुथर् इमारती
साल, बीजा, शीशम, : इमारती, अधर्-इमारती
बिल्लयाँ
सागौन : इमारती, अधर्-इमारती।

(3) सारणी में साल, बीजा, शीशम में सागौन प् लायवुड तथा इमारती के दर तथा साल बीजा, शीशम में केवल इमारती लकड़ी के दर िदये जाते हैं।

(4) अधर्-इमारती लट्ठों (सागौन, साल शीशम, बीजा) का दर उसी साइज के इमारती लट्ठों के दर का 40% होगा।

(5) चतुथार्ंश इमारती सागौन की दर, उसी साइज के इमारती लट्ठों की दर का 20% होगा।

(6) इमारती बल् ली सागौन की दर सूची अनुसार होगा, अधर्-इमारती सागौन बल् ली की दर उसी साइज के बिल्ल यों का 50% होगा।

(7) यिद िकसी भूिम ः वामी का खाता, ः थािपत िडपो से 25 िकलोमीटर से अिधक दूरी पर िःथत हो तो वन िवभाग द्वारा खेतों की लकड़ी का पिरदान लेने पर ूित 5 िक.मी. या उसके भाग पर, बय दर में सभी जाितयों के िलए 5.00 ूित घन मीटर की कमी की जाएगी। यह कमी कुल दूरी पर नहीं, बिल्क 25 िकमी से अिधक दूरी के भाग पर ही की जावेगी।

कायार्लय अपर ूधान मुख् य वन संरक्षक, उत् पादन, मध् यूदेश, भोपाल

ब./अूमुवसंउ/राजः व-1/6821
ित,

भोपाल, िदनांक 27.11.98

समः त वन संरक्षक, मध् यूदेश

िवषय : सागौन एवं साल कां ठ के ूचिलत वगीर्करण में पिरवतर्न।

वतर्मान में सागौन एवं साल कां ठ के वगीर्करण की बमश: सात एवं पांच ौेिणयां ूचलन में है। कां ठाकारों में प् लाइवुड एवं ूथम ौेणी की कां ठ की माSा नगण् य एवं िद्वतीय ौेणी की माSा भी अत् यल् प है।

सामान् य अनुभव रहा है िक कां ट में तृतीय 'अ' ौेणी बहुत व् यापक है और लगभग दोषरिहत लट्ठों के साथ-साथ काफी दोष वाले लट्ठे भी इस ौेणी में शािमल रहते हैं। पिरणामः वरूप अवरोध मूल् य ूभािवत होता है। उक् त समः या के िनराकरण हेतु िद्वतीय 'ौेणी' को नवीन वगीर्करण के अंतगर्त िद्वतीय 'अ' एवं िद्वतीय 'ब' ौेणी में िवभािजत िकया गया है तािक ूथम ौेणी से कुछ िनम् न ौेणी की कां ठ को िद्वतीय 'अ' ौेणी में तथा तृतीय 'अ' की लगभग दोषरिजत कां ठ दो िद्वतीय 'ब' ौेणी में वगीर्कृत िकया जा सके। इसी ूकार कुछ ऐसी कां ठ जो न तो पूरी तरह जलाऊ ही होती है और न ही पूरी तरह चतुथर् 'ब' ौेणी की ही होती है तथा िजसमें 20 से 25 ूितशत तक िचरान िनकल सकती है, इस ूकार की कां ठ को नवीन वगीर्करण में पंचम ौेणी में वगीर्कृत िकया गया है तथा प् लाइवुड क् वािलटी की नगण् य माSा में होने के कारण इसे समाप् त िकया गया है।

चिलत साल कां ठ वगीर्करण में भी चतुथर् ौेणी से िनम् न ौेणी न होने के कारण चतुथर् ौेणी को बमश: चतुथर् 'अ' एवं चतुथर् 'ब' में िवभािजत कर उपरोक् त दिशर्त पंचम ौेणी की कां ठ को नवीन वगीर्करण में चतुथर् 'ब' ौेणी में वगीर्कृत िकया गया है।

इस ूकार संलग् न वगीर्करण पSक में दिशर्त ूथम ौेणी से चतुथर् 'ब' ौेणी तक का वगीर्करण सागौन एवं साल कां ठ हेतु समान रूप से लागू िकया गया है। केवल पंचम ौेणी का ूावधान सागौन कां ठ हेतु ही िकया गया है।

अत- इस वगीर्करण को तत् काल ूभाव से लागू िकया जाकर पालन ूितवेदन इस कायार्लय को ूेिषत करने का कं ट करें।

संलग् न - वगीर्करण ूपS

अपर ूधान मुख् य वन संरक्षक, उत् पादन मध् यूदेश, भोपाल

तृतीय 'A' 6 से 8 बड़ी

तृ
ती
य

'
B
'

ब
ड़ी

आ
का
र

की

आ
का
र

की

गठाने ूित 3

मान् य

गठ	ान ट	ापन	व यापाि रक ौमरोड	णी क का ठ का नवीटेपर दरार	न वगीकरण नाि लयां
न ल	× मानबाई म	य नही बहत मीट र 5 ि अन	कम ि त 3×मा लबाई क ि लए तशत तक मल य	न यनही ×मान् यनहीं	ी × मान् य नहीं
यम स्ल वत र ल	ि त 3 लबाई म10 स.मत क	मीटर हल की एक टढ़ ऐठन ू ी. गहराई	बहतकम ि त लबाई ि त शमान य	3मीटर म 10 त तक हल कीकम सतही दरारे मान् य	गहरी हल् की 5 सेमी. तक गहरी नाि लयां मान् य
10म त 3 ई म	अधिकत 10 मी. आकार तक ि लंबाई में	म दो टढ़ मध यगहराई मरोडत 3 मीटर	म ि दिखन योग य ि त मान य लबाईतक	3 मीटर गहर म15% दरारें मान य मध यम की सतही मान् य	ई रार साधारण नाि लयां 10 से.मी. गहराई तक
	बाई म अधिकत 10 स 1या मत गहराई ि त 3	म दो टढ़ ः प ट5 स.मी. मरोड ूतक की मीटर	ि दिखन योग य ि त लबाई ि तश	3मीटर ि सरे म 20 दरार त तक मान य केवल एक पर गहरी	सर ार मध् यम गहराई की नाि लयां मान् य
	बाई म लंबाई में अधिकत जीि वत 15 स	म 4 टढ़ असीि 0 स.मी.	मतअसीि	मत लट्ठे के दोनों ि सरो पर गहरी	ो गहरी नाि लयां मान् य
	गठान गहराई मीटर ि त 3 मान य में मान् य	तक की मी. लबाई य		दरारें मान् य	

मान् य
केवल एक ि सरे
पर व् यास का
1/10 तक
पोलापन मान् य
दोनों ि सरों पर
व् यास का 1/10
तक पोलापन

मा
न्
य
×

मा
न्

य
न
हीं

हल् काजला ऊपरी
छाल का गहराई
तक िजसका
आयतन पर कोई ू

थम अधिकतम दो
×मान् यनहीं×मान् यनहीं×मान् यनहीं
छोटी जीिवत

मान् य

िद्वतीय 'A' – ू
×मान् यनहीं
×मान् यनहीं
×मान् यनहीं

िद्वतीय 'B' अिधकतम 6
केवल एक िसरे
×मान् यनहीं
×मान् यनहीं

जीिवत गठानें

प

र बहुत कम

व् यास का 1/15

की ूित 3

तक क्षेऽफल

	गठाने असीि	टेढ़ापन मत असीिमत	मरोड टेपर तअसीिमत

1 ज ग म	स 12 जीिवत या मृत गठान ूित 3 मीटर लंबाई में		
1 ग ल म	असीि12 से 15 गठानों युक् त लट्ठा ूित 3 ीटर लबाई म	मत असीि म	तअसीिमत
ब 3 3 म	बहुत बड़े असीिआकार की ूित 3 मीटर लंबाई	मत असीि मत	तअसीिमत
अ य	अधिक गठानों युक् त		

ौेणी

चतुथर् 'A' बड़े आकार की

दरार नािलयां पोलापन

गहरी दरार लट्ठे बहुत गहरी

दोनों िसरों पर अधिक खार

जला हुआ

की अद्धर् लंबाई नािलयां व्

यास का 1/10 मान् य नहीं आयतन 50 ू

तक से

1/15 तक

ितशत तक

पो ला प न मा न् य क्षि त मः

चतुथर् 'B' बड़े आकार की अिधक जला हुआ	असीिमत दोनों िसरे पर	असीिमत अत्यिधक कोई	त व्यास का 1/5 से सीमा नहीं िजससे आयतन अिधक तक का 10 ्रितशत पोलापन मान्यतक भाग

		क्षितमः त
पंचम	असीिमत	असीिमत
	उपरोक् तानुसार असीिमत	
	अिधक जला	
		आयतन का 10 ू ितशत से अिधक भाग क्षितमः त

मध् यूदेश शासन
वन िवभाग

ब./सिमित/04/2003/2009
ित,

भोपाल, िदनांक 5.4.03

अपर ूधान मुख् य वन संरक्षक(उ)
भोपाल

िवषय : वषर् 2001-02 एवं 2002-03 हेतु भूिम ः वामी खाते की िविनिदर्ं ट/अिविनिदर्ं ट कां ठ बय हेतु दर िनधार्िरत।

रां शीयकृत वनोपज अन् तिवर्भागीय सिमित की बैठक िदनांक 19-2-2003 (अ.ू.मु.व.सं.उ. के िवषय बमांक-2) में िलये गये िनणर्य के अनुसार भूिमः वामी खाते में िविनिदर्ं ट/अिविनिदर्ं ट कां ठ बय हेतु दर िनधार्िरत के संबंध में कलेण् डर वषर् 1-1-2000 से 31-12-2001, 1-1-2002 से 31-12-2002 तथा 1-1-2003 से 31-12-2003 तक की अविध के िलए भूिमः वामी खाते की िविनिदर्ं ट कां ठ के बय हेतु राज् य शासन एतद्द्वारा िनम् नानुसार दर ूिबया िनधार्िरत करता है :

(क) "केलेण् डर वषर् 2000 में वन वृत् तवार शासकीय िडपो से िवबय की गई समकक्ष ौेणी की इसी ूजाित के कां ठ के िवबय से ूाप् त औसत मूल् य को समेकीकृत कर केलेण् डर वषर् 2001 हेतु 2001 में ूाप् त औसत मूल् य से 2003 हेतु मािलक मकबूजा की कां ठ की बय दर िनधार्िरत की जाये। समेकीकरण में ूाप् त असामान् य दरों को शािमल नहीं िकया जावेगा। यिद िकसी वृत् त में िकसी िवशेष ौेणी, ूजाित अथवा लंबाई गोलाई वगर् की दरें उपलब् ध न हो तो इनके िलए वृत् त की सीमा से लगे हुए समीपः थ एक या दो वृत् तों (जैसी िःथित हो) में केलेण् डर वषर् 2001, 2002 एवं 2003 हेतु कां ठ बय की दर का िनधार्रण तक वषर् के 12 माह में वन वृत् तवार शासकीय िडपों से िवबय की गई समः त ौेणी की इसी ूजाित के कां ठ के िवबय से ूाप् त औसत मूल् य को समेकीकृत कर मािलक मकबूजा की बय कां ठ की दर िनधार्िरत की जावे।

(ख) इस ूकार पिरगिणत दरों में भूिमः वािमयों से बय की गई लकड़ी के िलए हः तन व् यय उतना ही घटाया जावेगा जो िक ूित घन मीटर व् यय कां ठ के िलए िडपों में व् यय िकया जाता है। पिरवहन में जो वाः तिवक व् यय िवभाग द्वारा िकया जाना है उतना ही घटाया जावेगा। इसके अितिरक् त यिद िवभागीय पयर्वेक्षण में भूिमः वािमयों के वृक्षों की मािकर्ंग, कटाई, बुगाई, पिरवहन आिद कायर् संपन् न िकये गये हैं तो िवभाग द्वारा िकया गया वाः तिवक व् यय ही कां ठ के पिरगिणत मूल् य से घटाया जावेगा।

(ग) भूिमः वामी की कां ठ के मूल् य का भुगतान िडपो में की गई अंितम मेिडंग के अनुसार होगा।

(घ) बय की जाने वाली भूिमः वामी की, कां ठ का नाप एवं वगीर्करण वतर्मान में ूचिलत िनयमों एवं ूिबया के अनुसार होगा।

उपरोक् तानुसार िनधार्िरत की गई वृत् तवार दरों का अनुमोदन रां शीयकृत वनोपज अन् तिवर्भागीय सिमित द्वारा िकये जाने के उपरान् त भुगतान की कायर्वाही की जावे।

हः ता.
के. पी. िसंह
उपसिचव

भाग पांच : खण् ड छः
काँ तकार द्वारा इमारती लकड़ी की काँ त

अिधसूचना ब. 2-8-सात-शा-8-94 िदनांक 29 जुलाई, 1997 धारा 241 के साथ पिठत मध् यूदेश भू-राजः व संिहता, 1959 (बमांक 20 सन् 1959) (जो इसमें इसके पँ चात् संिहता के नाम से िनिदर्ं ट है) की धारा 258 की उपधारा (1) व उपधारा (2) के खण् ड (बासठ) द्वारा ूदत् त शिक्तयों को ूयोग में लाते हुए, "मध् यूदेश राजपऽ" िदनांक 22 जनवरी, 1960

में ूकाि शत इस िवभाग की अिधसूचना बमांक 218-6477-सात-एन (रूल् स), िदनांक 6 जनवरी, 1960 में राज् य सरकार, एतद्द्वारा, िनम् निलिखत संशोधन करती है जो उक् त संिहता की धारा, 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेिक्षत िकए गए अनुसार पूवर् में ूकाि शत िकये जा चुके हैं, अथार्त्-

संशोधन

उक् त िनयमों में, -

(1) िनयम 2, 3, 4, 5, 6 तथा पुन: बमांिकत िनयम, 11 में शब् द "कलेक् टर" जहां कहीं भी आये हों, के ः थान पर शब् द तथा कों ठक "उपखण् ड अिधकारी (राजः व)" ः थािपत िकये जाएं;

(2) िनयम, 2 में िनम् निलिखत परन् तुक जोड़े जाएं, अथार्त् :

"परन् तु मध् यूदेश वन उपज (व् यापार िविनयमन) अिधिनयम, 1969 तथा भारतीय वन अिधिनयम, 1927 के अधीन िवरिचत मध् यूदेश पिरवहन (वनउपज) िनयम, 2000 के उपबन् धों के अध् यधीन रहते हुए, िकसी भूिम के खाते में के इमारती वृक्षों को िगराये जाने और पिरवहन के िलए, यिद ऐसा िगराया जाना संिहता के उपबंधों के उल् लंघन में नहीं है, अनुज्ञा की आवँ यकता नहीं होगी जबिक उसने वाि णिज्यक बागान रोपण को सिम्मिलत करते हुए उन वृक्षों का रोपण िकया हो :

परन् तु यह और िक,

(एक) यिद वृक्षारोपण, इस िनयम के ूवृत् त होने के पूवर् िकया गया हो और वे सुसंगत राजः व खसरा में अिभिलिखत न हो, तो वह इस िनयम के ूवृत् त होने के नब् बे िदन के भीतर तहसीलदार को तथा वन रेंज अिधकारी को इसकी सूचना ू ारूप "ख" में देगा तथा इस ूकार के वृक्षारोपण को, खसरा में सिम्मिलत करते हुए सुसंगत राजः व अिभलेखों में अिभिलिखत िकया जाएगा;

(दो) भिवं य के िकसी और वृक्षारोपण के िलए, भूिमः वामी तहसीलदार तथा वन रेंज अिधकारी को सूचना ू ारूप-ख में अिमम सूचना देगा तथा यह िक इस ूकार के वृक्षारोपण को खसरा को सिम्मिलत करते हुए सुसंगत राजः व अिभलेखों में, सम् यक्रूप से अिभिलिखत िकया जाएगा।

ः पं टीकरण - िनयम-2 के परन् तुकों के ूयोजन के िलए "वाि णिज्यक वृक्षारोपण" में िनयम 2 के परन् तुकों के अधीन यथा उपबंिधत राजः व अिभलेखों में इनके अिभिलखत होने के अध् यधीन रहते हुए, वाि णिज्यक फसल के रूप में वृक्षों का रोपण, उनका उगाना तथा काटना सिम्मिलत होगा।"

(3) िनयम 3 के उपिनयम (1) के परन् तुक में, शब् द तथा अंक "संिहता, 1959" के ः थान पर शब् द तथा अंक "संिहता 1959, उपखण् ड अिधकारी ऐसे आवेदन को कलेक् टर को अमिषत करेगा जो" ः थािपत िकए जाएं।

(4) िनयम 6 के खण् ड (एक) में शब् द "पटेल" के ः थान पर शब् द "पटवारी" ः थािपत िकया जाए।

(5) िनयम 7 में शब् द "पटेल" के ः थान पर शब् द "पटवारी" ः थािपत िकया जाए।

(6) िनयम 9 में शब् द तथा अंक "5 नए पैसे" के ः थान पर शब् द "पांच रुपये" ः थािपत िकया जाए।

(7) िनयम 10 के उपिनयम (1) में शब् द "इमारती लकड़ी का कोई नग" के ः थान पर शब् द "इमारती लकड़ी का कोई नग िजसे मध् यूदेश पिरवहन (वन उपज) िनयम, 1961 लागू होता हो" ः थािपत िकया जाए।

(8) िनयम 10 के उपिनयम (3) को िनयम "11" के रूप में पुनबर्मांिकत िकया जाए।

ू ारूप ख

(िनयम 2 देिखए)

खसरा में सिम्मिलत करते हुए राजः व अिभलेखों में इमारती वृक्ष के वृक्षारोपण की ूिविष्टयों को अिभिलिखत करने हेतु सूचना

ूित,

तहसीलदार ....

तहसील ....

िजला .... (मध् यूदेश)

1. आवेदक का नाम, िपता का नाम तथा पता ....

2. खसरा नम् बर तथा क्षेऽफल पटवारी हल् का नम् बर एवं माम िजस पर वृक्षारोपण िकया गया है/ू ः तािवत है। ....

3. भूिम के ः वािमत् व के संबंध में िविशिष्टयाँ ....

4. ूत् येक खसरा नम् बर में िवद्यमान/ूः तािवत वृक्षों की संख् या : ....

बम संख् या	खसरा बमांक	वतर्मान में िःथत वृक्षों की संख् या ूजाित सिहत	ः तािवत वृक्षारोपण हेतु पौधों की संख् या और ूजाित का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)

तारीख ....

ः थान .... (खातेदार के हः ताक्षर)

(म.ू. राजपऽ भाग 4(ग) िदनांक 8.8.97 पृं ठ 120-22 पर ूकािशत।)